

दालत.....

सादर/का. नं.
(SDO) वायतु

मुकाम.....

21 वाराणसी 36 रासातप

बनाम.....

हनुमानदास

किस्म मुकदमा.....

136 R.H. 411

नं. 09/2020

सन.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/01/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/स्केडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/02/2020 की पेश हो।</p>	
04/02/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/स्केडेंट के नोटिस तामिल हुकम तामिल हुकम तामिल पत्रावली कास्तकारी हुकम हुकम में व्यक्त होने से मिशाल इलका होडा कामाधी 11/02/2020 को पेश ही।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु</p>
11/02/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/स्केडेंट के नोटिस तामिल हुकम तामिल हुकम तामिल पत्रावली कास्तकारी हुकम हुकम में हुकम प्रार्थी वकील द्वारा तलब किया गया जिसे कोर से कोई इलका नहीं जारी गई, वस्तु वस्तु पत्रावली दिनांक 18/03/2020 को पेश ही।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु</p>



सेवाएं

18/03/2020

प्राथमिक स्वयं सेवक प्राथमिक वडली उपस्थित। प्राथमिक स्वयं सेवक द्वारा शास्त्र-पत्र प्रेषित किया गया तथा विपणन सेटल-5 द्वारा उपस्थित होकर प्राथमिक द्वारा उपस्थित प्राथमिक-पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धी-पत्र उपस्थित किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः मामले सम्बन्ध पत्रावली दिनांक 08/04/2020 को प्रेषित की।

बिबेक कुमार

सहायक कलेक्टर (SDO) बाराक

श्रीमान

08/04/2020

पत्रावली काज प्रेषित हुई। डीविन-2019 के पत्रों को नहीं लिया जा सका। श्रीमान पीठासीन अधिकारी द्वारा कामों में व्यत्यय होने से केवल इलैक्ट्रॉनिक डीआर कागजी दिनांक 10/06/2020 को प्रेषित की।

श्रीमान

10/06/2020

प्राथमिक वडली उपस्थित। प्राथमिक वडली ही एड प्रसिद्ध बटल सुनी गई प्राथमिक डा कोर्टन स्वयंसेवा किया जाकर फाईल अलग से लिया गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केवल शुभा द्वारा दर्ज नम्बर से कम ही प्राथमिक प्रस्तुत की।

बिबेक कुमार

सहायक कलेक्टर (SDO) बाराक

(724042)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या 09/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रावाराम उर्फ रासाराम पुत्र मगनाराम
जाति-जाट, निवासी-हुडों की ढाणी,
तहसील-बायतु जिला-बाडमेर

1. हनुमानराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा 14
जातियान-जाट, निवासीयान- हुडों की
ढाणी, तहसील- बायतु जिला- बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- 1. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.06.2020

प्रार्थी रावाराम उर्फ रासाराम पुत्र मगनाराम जाति-जाट, निवासी-हुडों की ढाणी, तहसील-बायतु जिला-बाडमेर की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा रेकॉर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा हुडों की ढाणी पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 69.14 बीघा, मौजा गंगावास पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 165.03 बीघा व मौजा चवानाडा पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 55, 56, 72 रकबा क्रमशः 33.13, 41.02, 19.10 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का नाम रावा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम रावाराम उर्फ रासाराम है।


प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 14 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। विप्रार्थीगण संख्या 5 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की ओर से कोई इस्तदुआ नहीं चाहे जाने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये हैं।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों व विप्रार्थी संख्या 5 के साक्ष्य शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का नाम भूलवंश रावाराम उर्फ रासाराम के स्थान पर रावा दर्ज हो गया। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हुडों की ढाणी	140	137	रावा	रावाराम उर्फ रासाराम
2	गंगावास	42	262	रावा	रावाराम उर्फ रासाराम
3	चवानाडा	51	55, 56, 72	रावा	रावाराम उर्फ रासाराम

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रैकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


10.06.2020
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु